न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :— ..../I/2016 रिव्यू

बाबूलाल पुत्र श्री प्रकाश रावत निवासी ग्राम चक टिटोर तहसील मुगावली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश —आवेदक

बनाम

1— भोगीराम पुत्र श्री तेजा रावत निवासी ग्राम चक टिटोर तहसील मुगावली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

2— मध्य प्रदेश शासन

3— भगवान सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह सिक्ख निवासी ग्राम चक टिटोर तह. मुगावली जिला अशोकनगर म. प्र. —अनावेदकगण

रिव्यू (पुर्नविलोकन) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता। माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 752/II/2014 आदेश दिनाक 19.09.2016 से परिवेदित होकर।

महोदय,

प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक 1 भोगीराम ने विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष एक आवेदन पत्र भू—राजस्व सहिता (जिसे आगे संहिता कहा जावेगा) की धारा 165(6) के तहत आवेदन पेश कर बताया कि, मैनें विवादित भूमि किसी बाबू सिंह नाम के व्यक्ति को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3937–दो / 16 जिला –अशोक नगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 752–दो / 14 में पारित आदेश दिनांक 19.09.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 3937–दो / 16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 752–दो / 14 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.9.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्य 3937–दो / 16 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आंवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो	

उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य